फतेहगढ़ पुलिस

प्रेस नोट – कादरीगेट

दिनांक – 16.10.2026

थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा 02 अभियुक्तों को 21 कार्टून अवैध आतिशवाजी (कुल वजन 657 कि0ग्राम) के साथ किया गया गिरफ्तार।

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर **श्रीमती अनुपम कुलश्रेष्ठ** के निर्देशन, श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक कानपुर रेंज, कानपुर **श्री यमुना प्रसाद** के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा रात्रि गस्त के दौरान 02 अभियुक्तों को 01 महिन्द्रा बुलेरो मैक्स पिकअप गाडी में 21 कार्टून अवैध आतिशबाजी सहित गिरफ्तार कर बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 249/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0- 1884 बनाम 1. रवि पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी जंगबहादुरगंज थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी 2. दीपक गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता निवासी जंगबहादुरगंज थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1. रवि पुत्र प्रेमचन्द्र निवासी जंगबहादुरगंज थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी
2. दीपक गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता निवासी जंगबहादुरगंज थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी

घटना का संक्षिप्त विवरण- दिनांक 16.10.2026 को थाना कादरीगेट पुलिस द्वारा रात्रि गस्त व चेकिंग के दौरान 02 अभियुक्तों को 01 महिन्द्रा बुलेरो मैक्स पिकअप गाडी में 21 कार्टून अवैध आतिशबाजी सहित गिरफ्तार कर बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर मु0अ0सं0 249/2026 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0- 1884 बनाम 1. रवि पुत्र

प्रेमचन्द्र निवासी जंगबहादुरगंज थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी 2. दीपक गुप्ता पुत्र कमलेश गुप्ता निवासी जंगबहादुरगंज थाना पसगवां जनपद लखीमपुर खीरी पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा रही है।

पूछताछ का विवरण- अभियुक्त ने पूछने पर अपनी सफाई अपने वकील के माध्यम से मा0 न्यायालय में देना बताया।

अभियुक्त रवि उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 248/26 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0- 1884 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

अभियुक्त दीपक गुप्ता उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

01.मु0अ0सं0 248/26 धारा 9(ख)(1)(बी) विस्फोटक अधि0- 1884 थाना कादरीगेट जनपद फतेहगढ़।

बरामदगी का विवरण-

01.कुल 21 अदद कार्टून आतिशवाजी , कुल वजन 657 कि0ग्राम

02. एक गाडी रंग सफेद नं0 UP 31 CT 8826 महिन्द्रा बुलेरो मैक्स पिकअप

गिरफ्तार करने वाली टीम –

01.उ0नि0 हरिकेश कुमार

02.का0 डोरीलाल,

03. का0 रावेन्द्र

04.का0 हिमान्शु

मीडिया सेल फतेहगढ़।

नोट- अवैध आतिशबाज़ी (पटाखों) के निर्माण, बिक्री और परिवहन की सूचना देने के लिए डायल करे CUG NO 7839856742

फतेहगढ़ पुलिस

Meticulous Investigation & Prosecution

#OperationConviction

थाना नवाबगंज

दिनांक-16.10.2026

श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ महोदय के निर्देशन अभियुक्तगण को सजा दिलाने हेतु प्रभावी पैरवी के लिये सम्बन्धित थाना प्रभारी व पैरोकारो को अपराधियों को अधिक से अधिक सजा दिलाने हेतु निर्देशित किया गया था।

अभियुक्तगण 1.नीतेश अवस्थी पुत्र विजयकान्त 2.विजयकान्त पुत्र स्वरूप नारायण 3.श्रीमती सोनी पत्नी विजयकान्त निवासीगण शुकरूल्लापुर थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ़ के विरुद्ध मु0अ0स0- 267/2023 वाद संख्या 07/2024 धारा 498ए,304बी भा0द0वि0 व 3/4 डीपी एक्ट थाना नवाबगंज जनपद फतेहगढ में पंजीकृत हुआ था जिसकी विवेचना सम्पादित कर अभियुक्त के विरूद्ध मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया।

फतेहगढ़ पुलिस टीम/मानीटरिंग सेल एवं अभियोजन पक्ष तथा कोर्ट पैरोकार / कोर्ट मोहर्रिर के द्वारा अथक प्रयास एवं प्रभावी पैरवी कराते हुए **मा0 न्यायालय एडीजे / एफटीसी-01 कोर्ट द्वारा दिनांक 16.10.2026 को दोषसिद्ध कर प्रत्येक को 10 वर्ष का कारावास की सजा व 25000-25000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**



एडीजीसी - श्री अनिल बाजपेयी



एडीजीसी - श्रीमती दीपिका कटियार



को0 मो0 - हे0का0 सुनील कुमार



पैरोकार - का0 कृष्णवीर सिंह